

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.स.) अवकाश / ३१२। / २०२३

दिनांक २० .१०.२०२३

श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५, नागौर को दिनांक २९.०९.२०२३ से ३०.०९.२०२३ तक ०२ दिनों का प्रतावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम—०१, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
१०.१०.२०२३

क्रमांक:—स्था.बी.२(४) / ४८ / १९९६ / ६८३।

दिनांक २० .१०.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५, नागौर को उनके पत्रांक १२८ दिनांक ०३.१०.२०२३ के सन्दर्भ में।
- श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—२०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—२००५, नागौर।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम—०१, नागौर।

१०२
२०/१०/२३
सहायक रजिस्ट्रार